[Shri Narayan Kar]

My charge against the Central Government is this. Will the Government of India utilise the thermal power for the development of the State of Tripura? The main thing is, to utilise the power for the people of Tripura.

The argument for shifting the thermal power project from Rokhia to Cachar by the Planning Commission is nothing but to deprive it to the people of Tripura. The question of infrastructure and communication is there. Who is responsible for this? It is the responsibility of this Government which runs the country from Delhi.

Before I conclude, Sir, I quote from "The Statesman" of the 30th November. It states:

> "A section of the ruling Congress (I) in the State blamed the Union Minister of State for Home, Mr. Santosh Mohan Dev, for the move to shift the project."

In this connection, I urge upon the Government for a statement in this regard.

Thank you very much.

Need to make the Industrial Laws Applicable to the Indian Airlines

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इंडियन एअर लाइंस के हवाई जहाजों से सफर करने वालों की यातनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

वैसे तो इंडियन एअर लाइंस और एअर इंडिया के कार्यकलाप पर इस सदन में बहस हो चुकी है और कई बार ऐसे प्रश्न भी उठाए गए हैं पर स्थिति ज्यों की त्यों है । उपसभाध्यक्ष महोदय, दो बार जिन यातनाओं से मुझे स्वयं गुजरना पड़ा मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 3 दिसम्बर को मैं 409 से, जो पटना, रांची, कलकत्ता जाता है, पटना जा रहा था । लखनऊ में हवाई जहाज काफी लम्बे अरसे तक रुका रहा । पता चला कि पायलट ने लखनऊ में जाकर कहा कि वह रांची नहीं जाएगा, जो सर्वथा अनुचित था क्योंकि यदि जहाज को रांची नहीं जाना था तो वह पटना में जाकर रुक सकता था और पटना से जो भी यात्री रांची जाने वाले हैं वह चले जा सकते थे बाई बस या ट्रेन से जा सकते थे । लेकिन, लखनऊ में यह कहना सर्वथा अनुचित था जिससे लोगों को काफी यातनाओं से गुजरना पड़ा ।

दूसरी बात, मैं सदन का ध्यान उन असलियत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे उत्पन्न हुई विकट समस्या का समाधान हो सके । दूसरा उदाहरण, 15 दिसम्बर को पटना हवाई अड्डे से विमान पर सफर करने वाले यात्रियों की दुर्दशा देखने वाली थी । एक विमान के पायलट ने हवाई अड्डे पर अदृश्यता के आधार पर ओवर फ्लाई कर दिया तो दूसरी फ्लाइट के पायलट ने दृश्यता रहने के बावजूद ओवर फ्लाई कर दिया । यहां देश में सभी व्यक्तियों का उत्तर दायित्व है पर चूंकि पायलट को नेशनल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल द्वारा फैक्ट्री और इन्डस्ट्रीज एक्ट के मुताबिक "वर्कमैन" में वर्गीकृत कर दिया गया है अतः इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को इनकी मांगों के प्रति विमुख होने के बावजूद उनके पास और कोई चारा नहीं है और उनकी मांगों को मानना पड़ता है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा कि मुझे जानकारी है, पायलट्स को उन्हें अधिक से अधिक शायद 15 हजार रुपए महीना वेतन दिये जाते हैं और औसतन 65 घंटे ये फ्लाइंग करते हैं ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि फैक्ट्री और इन्डस्ट्री एक्ट में कुछ और सुधार लाया जाए जिससे कि पायलट द्वारा बनाई गई कुव्यवस्था को कानून में लाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके । धन्यवाद ।